छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
:: मंत्रालय ::
महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर,

क्रमांक **एफ 14–1/2021/34–2**/849 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक **17/06/2022**

प्रति,

कलेक्टर एवं
जिला दण्डाधिकारी (समस्त)
छत्तीसगढ़।

विषय :– अनुपयोगी हो चुके नलकूप (Abandoned Bore wells) में बच्चों के गिरने से होने वाली घातक दुर्घटनाओं से बचने सुरक्षात्मक उपाय विषयक।

—— 0 ——

विषयांतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका क्रमांक 36/2009 के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के D.No. 194/2009/SC/PILC दिनांक 17 फरवरी 2010 द्वारा अनुपयोगी हो चुके नलकूप (Abandoned Bore Wells) में बच्चों के गिरने जैसी घातक दुर्घटनाओं से बचने के सुरक्षात्मक उपाय के संबंध में विभाग के पत्र क्रमांक 900/PHED/2012/34-1, रायपुर दिनांक 06.08.2012 द्वारा 13 बिन्दुओं पर पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश तथा प्रमुख अभियंता के परिपत्र 3100/त.शा./प्र.अ./लोस्वायांवि/रायपुर/2010/F.No.391, दिनांक 30.04.2010 एवं तकनीकी परिपत्र 161, दिनांक 31.08.2012 द्वारा विस्तृत मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये है। **(जारी निर्देशों की छायाप्रति सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित है।)**

2/ वर्तमान में खुले बोर के कारण कई स्थानों पर बच्चों के गिरने की घटना शासन के ध्यान में आई है। दिनांक 10 जून 2022 को जांजगीर–चांपा जिले में मालखरौदा विकासखंड के ग्राम पिहरीद में भी एक बालक के बोरवेल में गिरने की अप्रिय घटना घटित हुई है। ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा Writ Petition No. 36 of 2009 में पारित आदेश का कठोरता पूर्वक पालन किये जाने की आवश्यकता है। आदेश की छायाप्रति संलग्न है ।

3/ भविष्य में ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए, कोई भी बोर उपयोग हो रहा हो, अनुपयोगी हो चुका हो, निष्प्रयोज्य घोषित हो चुका हो, केसिंग सहित हो अथवा केसिंग निकाला जा चुका हो, किसी भी प्रयोजन के लिये भी हो, शासकीय बोर हो अथवा निजी या किसी भी निकाय संस्था का बोर हो, जिसका उपयोग पेयजल, सिंचाई, वाणिज्यिक या उद्योग के लिए किया जाता हो, खुले में कदापि नही रहना चाहिए, इसके लिए निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित किया जावे :–

1. **परित्यक्त नलकूप (Abandon Borewells)** :– सामान्यतः नलकूप खनन के दौरान कई बार भसकने वाले स्ट्रेटा प्राप्त होने से, सब–साइल जल दबाव अधिक होने से, बोल्डर प्राप्त होने से, टूल्स गिरने/टूटने या अन्य कारणों से नलकूप खनन संभव नहीं हो पाता है, फलस्वरूप गड्ढा यथावत छोड़ दिया जाता है। कई बार नलकूप खनन के दौरान विभिन्न कारणों से केसिंग डालने के पश्चात भी नलकूप खनन कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है एवं केसिंग पाईप निकाल लिया जाता है। उपरोक्त दोनों ही स्थिति में अधूरे कार्य की वजह से निर्मित बोरहोल दुर्घटना का कारण बनता है।

अतः ऐसी स्थिति में गड्ढे को मिट्टी/रेत/पत्थर या अन्य उचित सामाग्री से भरा जाकर सतह को पूर्व की भॉति किया जाना सुनिश्चित किया जावे। यह कार्यवाही कार्य स्थल से मशीन हटाये जाने के पूर्व अनिवार्यतः किया जावे।

2. **ग्रेवेल पैक नलकूप** :– विभागीय मापदण्डों के अनुसार 25 मीटर से अधिक कोलेप्सिबल स्ट्रेटा प्राप्त होने पर ही ग्रेवेल पैक नलकूप मान्य किया जाता है। कई बार ग्रेवेल पैक नलकूप खनन के दौरान 25 मीटर से कम कोलेप्सिबल स्ट्रेटा प्राप्त होने के फलस्वरूप उस स्थल पर नलकूप खनन कार्य स्थगित कर अन्य स्थान पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप निर्मित बोरहोल तुलनात्मक रूप से अधिक व्यास के होने के कारण दुर्घटना के कारण बन सकते है।

अतः ऐसे बोर होल्स को स्थल से, मशीन हटाने के पूर्व मिट्टी/रेत/पत्थर या अन्य उचित सामाग्री से भरा जाकर सतह को पूर्व की भॉति समतल एवं ठोस किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

3. **सामान्य नलकूप** :– नलकूप खनन के दौरान कई बार ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि नलकूप में पर्याप्त जल आवक क्षमता प्राप्त नहीं होती है। ऐसे नलकूपों को एम. एस. कैप एवं कांक्रीट ब्लाक बनाकर सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य है, लेकिन कई बार ऐसे नलकूपों में कांक्रीट ब्लाक नहीं बनाया जाकर सिर्फ एम.एस. कैप ही लगा दिया जाता है। कालांतर में एम.एस. कैप के टूट–फूट हो जाने पर दुर्घटना घटने की संभावना बढ़ जाती है।

अतः सभी सूखे नलकूपों पर अनिवार्य रूप से सीमेन्ट/कांक्रीट ब्लाक बनाया जाकर स्थल को सुरक्षित रखा जावे।

4. **नवीन नलकूप खनन** :– प्रायः यह देखा गया है कि नवीन नलकूप खनन के पश्चात हेण्डपंप/पावर पंप स्थापना के पहले बोरवेल को बिना कैपिंग के या सुरक्षात्मक उपाय किये बिना खुला छोड़ दिये जाने से भी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है ।

अतः नवीन नलकूप खनन के तत्काल पश्चात, हेण्डपंप/पावर पंप स्थापना के पूर्व सभी आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित किये जावे।

5. **रिंगवेल/ओपनवेल खनन** :– प्रदेश के कई क्षेत्रों में जहॉ भू–जल स्तर अच्छा है, वहॉ लोगों द्वारा बाड़ी एवं खेतों में निस्तारी एवं सूक्ष्म सिंचाई हेतु रिंगवेल/ओपनवेल खनन किया जाता है, लेकिन पर्याप्त सुरक्षा के स्थायी उपायों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है और सतह को खुला छोड़ दिया जाता है, जो दुर्घटना के कारण बनता हैं।

अतः रिंगवेल/ओपनवेल के अपूर्ण या पूर्ण खनन के तत्काल पश्चात, जगत/ पैरापिट वाल (Parapet Wall) स्थापना के लिए व्यक्ति/कृषकों **(रिंगवेल/ओपनवेल के स्वामी)** को निर्देशित कर, सभी आवश्यक सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित किये जावे।

4/ माननीय उच्चतम न्यायालय में दायर रिट याचिका क्रमांक 36/2009 के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के D.No. 194/2009/SC/PILC दिनांक 17 फरवरी 2010 में जारी निर्देशों का कठोरता पूर्वक पालन करते हुए, अपने जिले में तकनीकी अधिकारियों का दल गठित कर, हैण्डपंपों/पावर पंपों के विभिन्न कारणों से अनुपयोगी हो जाने पर नलकूप से हैण्डपंप/पावर पंप की सामग्री निकाले जाने के पश्चात नलकूप को कांक्रीट ब्लाक बनाकर सुरक्षित रखा जावे, ताकि भविष्य में दुर्घटनाओं की संभावना न हो।

अतएव उपरोक्तानुसार जिले में तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जावे एवं की गई कार्यवाही की जनपद पंचायतवार एवं प्रकरणवार जानकारी, ***प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर को Email Id - cg_encphedcg@nic.in*** पर दिनांक 30.06.2022 तक अनिवार्यतः प्रेषित करें।

उपरोक्त कंडिका 03 के क्र 01 से 05 तक में दिये गये निर्देशों का नवीन बोरवेल, ग्रेवल पैक नलकूप, सामान्य नलकूप तथा रिंगवेल/ बोरवेल के नवीन कार्यो में भी कड़ाई से पालन किया जावे तथा इस कार्य का नियमित निरीक्षण एवं समीक्षा की जावे, ताकि भविष्य में कोई अप्रिय घटना घटिन न हो ।

इस संबंध में की गई कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को नियमित रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित किया जावें ।

17/6/22

(सुब्रत साहू)
अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

पृ0क्र. **एफ 14–1/2021/34–2**/850 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक **17/06/2022**

प्रतिलिपि :–

1. माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय के अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
2. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
3. अपर मुख्य सचिव, छ0ग0 शासन, वन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
4. प्रमुख सचिव, छ0ग0 शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग एवं गृह विभाग मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
5. कृषि उत्पादन आयुक्त एवं सचिव, छ0ग0 शासन, कृषि, पशुपालन मत्स्य पालन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
6. सचिव, छ0ग0 शासन, वित्त एवं नगरीय प्रशासन विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
7. सचिव, छ.ग.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर ।
8. सचिव, छ.ग.शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर ।
9. समस्त संभागायुक्त, छत्तीसगढ़ ।
10. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण, छ.ग.।
12. आयुक्त, छ.ग. गृह निर्माण मण्डल, नवा रायपुर, अटल नगर ।
13. क्षेत्रीय निदेशक, केन्द्रीय भूमिजल बोर्ड, उत्तर मध्य, छत्तीसगढ़ क्षेत्र, द्वितीय तल, एल.के. कार्पोरेट एवं लॉजिस्टिक पार्क, धमतरी रोड, डूमरतराई, रायपुर।
14. प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्द्रावती भवन, तृतीय तल, नवा रायपुर, अटल नगर को पालनार्थ । कृपया अधीनस्थ मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता तथा कार्यपालन अभियंताओं (सिविल/वि.यां.) को विभाग द्वारा निर्मित बोरवेल/रिंगवेल/ ओपनवेल में उपरोक्तानुसार सुरक्षात्मक उपाय सुनिश्चित करने हेतु तत्काल निर्देशित करें।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

17/6/22

अपर मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
:: मंत्रालय ::
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक 917/PHED/2012/34-1

रायपुर, दिनांक 06/12/2012

प्रति,

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, रायपुर
छत्तीसगढ।

विषयः— माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल रिट पिटीशन क्रमांक 36/2009 में पारित आदेश का पालन प्रतिवेदन प्रेषित करने बाबत्।

****

राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग द्वारा चाही गई जानकारी के संदर्भ में सचिव सह आयुक्त, छ.ग.शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग ने विषयांतर्गत सिविल रिट पिटीशन क्रमांक 36/2009 में माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में दिए गए निम्नांकित निर्देशों के संबंध में पालन—प्रतिवेदन एक सप्ताह में चाहा है :—

(i) नलकूप खनन का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व भूमि/भवन स्वामी द्वारा अग्रिम सूचना दी जाती है या नहीं।

(ii) जिला प्रशासन में शासकीय, अर्द्धशासकीय/निजी नलकूप खनन करने वाले एजेंसियों का पंजीयन अनिवार्यः किया गया है या नहीं।

(iii) नलकूप खनन के समय स्थल के पास खनन करने वाली एजेंसी के पूरे पते एवं नलकूप स्वामी के पूर्ण पते आदि बाबत् साईन बोर्ड लगाये जाते हैं/लगाए गए हैं या नहीं।

(iv) नलकूप खनन के दौरान बोरवेल क्षेत्र को बारबेट वायर तथा अन्य यथोचित सामग्रियों से घेराबंदी किया जाता है/किया गया है।

(v) नलकूप जिसमें केसिंग लगा हो उसके चारों ओर 0.50X0.50X0.60 मीटर (0.30मीटर भू स्तर से ऊपर तथा 0.30मीटर भू स्तर से नीचे) सीमेंट कांक्रीट से प्लेटफार्म का निर्माण किया जाता है या किया गया है।

(vi) नलकूप केसिंग को स्टील प्लेट तथा अन्य मजबूत केप आदि को नटबोल्ड से ठीक तरह से कसकर बंद किया जाता/किया गया है।

(vii) नलकूपों के मरम्मत/सुधार आदि की स्थिति में उन्हें खुला नहीं छोडा जाये।

(viii) नलकूप खनन के कार्य पूर्ण होने पर उसके आसपास के गढ़ढों पर मिट्टी आदि से भराई कराकर समतल कर दिया जाता है या किया गया है।

(ix) परित्यक्त नलकूपों को मिट्टी, रेत, बोल्डर आदि से पूर्णतः भर दिया गया है/भरा जाता है।

TS/AS/GS/ES/MIS/TSC/CCDU/A

क्रमशः....../ /2/ /

(x) किसी स्थल पर नलकूप खनन का कार्य पूर्ण होने पर वहां के भूतल स्थिति को पूर्ववत् किया जाता है/नहीं किया गया है।

(xi) विभाग द्वारा विभिन्न एजेंसियों से नलकूप खनन के उपरोक्त कार्यवाहियों के संबंध में नियमित अनुश्रवण/मॉनीटरिंग की जाती है/या नहीं।

(xii) जिला/विकासखण्ड/ग्रामीण स्तर पर नलकूपों की स्थिति/खनन किए गए नलकूपों/परित्यक्त नलकूपों के खुले होने की स्थिति आदि का हिसाब–किताब रखा जाता है/नहीं रखा गया है।

(xiii) यदि कोई ट्यूबवेल को किसी स्तर पर परित्यक्त घोषित किया जाता है तो इस बाबत् संबंधित से प्रमाण पत्र लिया जाता है या नहीं लिया जाता है।

कृपया उपरोक्त प्रतिवेदन एक सप्ताह में अनिवार्यतः भेजें।

04/08/12

विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

कार्यालय प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
रायपुर छत्तीसगढ़

परिपत्र

विषयः— अनुपयोगी हो चुके नलकूप (Abandoned Bore wells) मे बच्चों के गिरने से होने वाली घातक दुर्घटनाओं से बचने सुरक्षात्मक उपाय।

—00—

माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर रिट याचिका कमांक 36/2009 के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के D.No.194/2009/SC/PILC दिनांक 17 फरवरी 2010 द्वारा अनुपयोगी हो चुके नलकूप (Abandoned Bore wells) मे बच्चो के गिरने जैसी घातक दुर्घटनाओ से बचने के सुरक्षा उपाय के संबंधित मार्गदर्शी निर्देश जारी किये गये हैं। उक्त निर्देशो के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में पालनार्थ निम्न अनुसार निर्देश जारी किये जाते है :—

1. ग्राम पंचायत/नगर पंचायत क्षेत्र जहां नलकूप का निर्माण किया जाना हो निर्माण के कम से कम 15 दिन पूर्व तक संरपच/अध्यक्ष को लिखित में सूचित किया जावे ।
2. ऐजेंसी जिसको निर्माण का कार्यादेश दिया जाता है को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व जिला प्रशासन के पास अपना पंजीयन कराया जाना आवश्यक रहेगा। तत्पश्चात ही कार्य प्रारंभ कराया जावे। निजी एजेंसी एवं शासकीय विभाग दोनो के लिये यह अनिवार्य रहेगा।
3. नलकूप खनन स्थल पर खनन कार्य के समय में नलकूप खनन करने वाले ठेकेदार का नाम, पूरा पता एवं विभाग के नाम की तख्ती स्पष्ट रूप से लगाई जावें।
4. ग्रेवेल पेक नलकूप खनन जिसकी खनन कार्य अवधि सामान्यतः अधिक समय के लिये होती है, के लिये स्थल पर वारबेड वायर फेंसिंग की जावेगी।
5. नलकूप केसिंग के चारो तरफ से 0.5X0.5X0.6 मीटर का सी.सी. (1:2:4: मिक्स) प्लेट फार्म ब्लाक बनाया जावेगा जो की 30 से.मी. जमीन सतह से उपर एवं 30 से.मी. जमीन सतह से नीचे रहेगा।
6. नलकूप केसिंग पाईप को खनन कार्य पश्चात मजबूत स्टील ढक्कन द्वारा नट बोल्ट से कस दिया जाता है । मैदानी अमला यह सुनिश्चित करेगा कि पंप रिपेयर के दौरान भी नलकूप बिना कव्हर के न रहे ।
7. नलकूप निर्माण के पश्चात स्थल को पूर्व स्थिति में समतल किया जाना आवश्यक रहेगा जैसा कि वह पूर्व स्थिति में था । इसमें निर्माण के दौरान बनाये गये गड्ढे/नाली आदि भी शामिल रहेगें ।
8. अनुपयोगी (Abandoned) हो चुके बोर को मिट्टी/रेत/बोल्डर ड्रिल कंटिग आदि से जमीन सतह तक पूरा भरा जावेगा।
9. प्रत्येक खण्ड कार्यालय ग्राम/विकासखण्ड वार खनित नलकूप की संख्या/ Abandoned Borewell की संख्या जो खुले पड़े है और जिनको भर दिया गया है की जानकारी संधारित करेगें और जिला प्रशासन को इस जानकारी से अवगत करावेगें ।

ADM.Bore

(386) (33)

10. माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिये गये निर्देशानुसार Abandoned Borewell : निपटान की पुष्टि करने के लिए विभागीय अधिकारी निरीक्षण करेगें एवं तत्संब प्रतिवेदन/जानकारी व प्रमाण पत्र प्रतिमाह प्रमुख अभियंता कार्यालय को भेजेगें त: जिला प्रशासन को भी अवगत करावेगें।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

पृ0क्रमांक 3100/त.शा/प्र0अ0/लोस्वायांवि/रायपुर/2010/F.No.391/ दिनांक 30.04.2010

प्रतिलिपि:–

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, मंत्रालय रायपुर की इस कार्यालय के पृष्ठांकन क0–2321/न्याया.शाखा./दिनॉक 27.03.2010 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. कलेक्टर, जिला ..... की ओर सूचनार्थ प्रेषित ।
3. मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर/वि/यां रायपुर
4. अधीक्षण अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मण्डल/वि0यां0 ..... की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
5. कार्यपालन अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्ड/परियोजना खण्ड/वि0यां0 खण्ड ..... की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित। वे अधिनस्थ संबंधितों को उपरोक्त निर्देशों से अवगत करावेगे।
6. सहायक अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (सिविल) परियोजना (वि./या.) उपखण्ड ..... की ओर सूचनार्थ एवं कड़ाई से पालन हेतु अग्रेषित। कृपया आपके अधिनस्थ कार्यरत उप अभिंयताओं को तदनुसार निर्देशित करने का कष्ट करे।
7. इसं कार्यालय के समस्त अधिकारी एवं शाखा प्रमुख की ओर सूचनार्थ।

प्रमुख अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़ रायपुर

कायालय प्रमुख आभयन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

385 | 329
संलग्न

तकनीकी परिपत्र कमांक ..../08/2012

कमांक 161 /त.शा./फा.नं-......../प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2012 रायपुर, दिनांक 31-08-2012

देश के विभिन्न जगहों में विगत कुछ समय से अनुपयोगी एवं खुले छोड़ दिये गये बोर होल्स में छोटे बच्चों के गिरने की दर्दनाक दुर्घटनायें सामने आयी है । मान्नीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस विषय पर विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है । इसी तारतम्य में विभाग द्वारा सुरक्षात्मक दृष्टि से निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे :-

01.परित्यक्त नलकूप (Abandon Borewells):- सामान्यत: नलकूप खनन के दौरान कई बार भसकने वाले स्ट्रेटा प्राप्त होने से, सब-साइल जल दबाव अधिक होने से, बोल्डर प्राप्त होने से, टूल्स गिरने/टूटने या अन्य कारणों से नलकूप खनन संभव नही हो पाता है फलस्वरूप गड्ढा यथावत छोड़ दिया जाता है । कई बार नलकूप खनन के दौरान विभिन्न कारणों से केसिंग डालने के पश्चात भी नलकूप खनन कार्य पूर्ण नहीं हो पाता है एवं केसिंग पाइप निकाल लिया जाता है । उपरोक्त दोनों ही स्थिति में अधूरे कार्य की वजह से निर्मित बोरहोल दुर्घटना का कारण बन सकता है । अत: ऐसी स्थिति में गड्ढे को मिट्टी/रेत/पत्थर या अन्य उचित सामाग्री से भरा जाकर सतह को पूर्व की भाँति किया जाना सुनिश्चित किया जावे । यह कार्यवाही कार्य स्थल से मशीन हटाये जाने के पूर्व अनिवार्यत: किया जावे ।

02.ग्रेवेल पैक नलकूप:- विभागीय मापदण्डों के अनुसार 25 मीटर से अधिक कोलेप्सिबल स्ट्रेटा प्राप्त होने पर ही ग्रेवेल पैक नलकूप मान्य किया जाता है । कई बार ग्रेवेल पैक नलकूप खनन के दौरान 25 मीटर से कम कोलेप्सिबल स्ट्रेटा प्राप्त होने के फलस्वरूप उस स्थल पर नलकूप खनन कार्य स्थगित कर अन्य स्थान पर कार्य प्रारंभ कर दिया जाता है । इस प्रकिया के फलस्वरूप निर्मित बोरहोल तुलनात्मक रूप से अधिक व्यास के होने के कारण दुर्घटना के कारण बन सकते है । इन बोर होलों को स्थल से मशीन हटाने के पूर्व मिट्टी/रेत/पत्थर या अन्य उचित सामाग्री से भरा जाकर सतह को पूर्व की भाँति किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

03.सामान्य नलकूप:- नलकूप खनन के दौरान कई बार ऐसी स्थिति निर्मित होती है कि नलकूप में पर्याप्त जल आवक क्षमता प्राप्त नहीं होती है । ऐसे नलकूपों को एम.एस. कैप एवं कांकीट ब्लाक बनाकर सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य है, लेकिन कई बार ऐसे नलकूपों में कांकीट ब्लाक नहीं बनाया जाकर सिर्फ एम.एस.कैप ही लगा दिया जाता है। कालांतर में एम.एस.कैप के टूट-फूट हो जाने पर दुर्घटना घटने की संभावना बढ़ जाती है । अत: सभी सूखे नलकूपों पर अनिवार्य रूप से कांकीट ब्लाक बनाया जाकर सुरक्षित रखा जावे ।

TS

(384)

हैडपंपों/पावर पंपों के विभिन्न कारणों से अनुपयोगी हो जाने पर नलकूप से हैडपंप/पावर पंप की सामाग्री निकाले जाने के पश्चात नलकूप को कांकीट ब्लाक बनाकर सुरक्षित रखा जावे ।

उपरोक्त स्थितियों के लिये विभाग में लागू दर अनुसूची में स्पष्ट निर्देश एवं प्रावधान है, जिनका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे ।

31-8-12

प्रमुख अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

पृ.कमांक 7376 /त.शा./फा.नं-...../प्र.अ./लो.स्वा.यां.वि./2012 रायपुर, दिनांक 31-8-12

प्रतिलिपि:

01. विशेष सहायक, मान्नीय मंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की ओर सूचनार्थ । कृपया मान्नीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहेंगे ।

02. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंत्रालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ ।

03.. मुख्य अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र रायपुर/बिलासपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

04. अधीक्षण अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग मंडल ...../ वि.यॉ.मंडल, रायपुर की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

05. कार्यपालन अभियन्ता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड/वि.यॉ.खंड ..... की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

31-8-12

प्रमुख अभियन्ता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग
छत्तीसगढ़, रायपुर

TS

Regd. AD

D.NO.194/2009/SC/PILC

All Communications should be addressed to the Registrar, Supreme Court by designation, NOT by name
Telegraphic address :- "SUPREMECO"

No 78 /CS/2010/COURT
Date 24 FEB 2010

SUPREME COURT
INDIA
NEW DELHI

DATED: 17th February, 2010

FROM: Assistant Registrar PIL (WRIT)

TO :

1. Union of India,
through the Secretary,
Ministry of Water Resources,
Shram Shakti Bhavan,
Rafi Marg
New Delhi - 110 001.

2. The Chief Secretary,
State of Arunachal Pradesh,
Itanagar (Arunachal Pradesh).

3. The Chief Secretary,
State of Andhra Pradesh,
Hyderabad (Andhra Pradesh).

4. The Chief Secretary,
State of Assam,
Dispur (Assam).

5. The Chief Secretary,
State of Bihar,
Patna (Bihar).

6. The Chief Secretary,
State of Chhattisgarh,
Raipur (Chhattisgarh).

7. The Chief Secretary,
State of Goa,
Panaji (Goa).

8. The Chief Secretary,
State of Gujarat,
Gandhinagar (Gujarat).

23 FEB 2010
Secy. PHED.

Spl. Secy.
Pl. putup

24-2-10
Secy.

No: 15 /Sec./PHE
dt. 24/2/10

(3)

9. The Chief Secretary,
State of Haryana,
Chandigarh.

10. The Chief Secretary,
State of Himachal Pradesh,
Shimla (H.P.).

11. The Chief Secretary,
State of Jammu & Kashmir,
Srinagar (J&K).

12. The Chief Secretary,
State of Jharkhand,
Ranchi (Jharkhand).

13. The Chief Secretary,
State of Karnataka,
Bangalore (Karnataka).

14. The Chief Secretary,
State of Kerala,
Thiruvananthapuram (Kerala).

15. The Chief Secretary,
State of Madhya Pradesh,
Bhopal (M.P.).

16. The Chief Secretary,
State of Maharashtra,
Mumbai (Maharashtra).

17. The Chief Secretary,
State of Manipur,
Imphal (Manipur).

18. The Chief Secretary,
State of Meghalaya,
Shillong (Meghalaya).

19. The Chief Secretary,
State of Mizoram,
Aizwal (Mizoram).

20. The Chief Secretary,
State of Nagaland,
Kohima (Nagaland).

(4)

21. The Chief Secretary,
State of Orissa,
Bhubneshwar (Orissa).

22. The Chief Secretary,
State of Punjab,
Chandigarh.

23. The Chief Secretary,
State of Rajasthan,
Jaipur (Rajasthan).

24. The Chief Secretary,
State of Sikkim,
Gangtok (Sikkim).

25. The Chief Secretary,
State of Tamil Nadu,
Chennai (T.N.).

26. The Chief Secretary,
State of Tripura,
Agartala (Tripura).

27. The Chief Secretary,
State of Uttar Pradesh,
Lucknow (U.P.).

28. The Chief Secretary,
State of Uttarakhand,
Dehradun (Uttarakhand).

29. The Chief Secretary,
State of West Bengal,
Kolkata (West Bengal).

30. The Chief Secretary,
Government of NCT of Delhi,
Delhi Secretariat,
I.P. Estate, New Delhi.

31. The Administrator
Union Territory of Andaman & Nicobar Islands,
Port Blair.

(5)

32. The Administrator
Union Territory of Chandigarh,
Chandigarh.

33. The Administrator,
Union Territory of Daman & Diu,
Moti Daman.

34. The Administrator,
Union Territory of Dadra & Nagar Haveli,
Silvassa.

35. The Administrator,
Union Territory of Lakshadweep,
Kavaratti.

36. The Administrator,
Union Territory of Pondicherry,
Pondicherry.

IN THE MATTER OF:

WRIT PETITION (CIVIL) NO. 36 OF 2009
(Under Article 32 of the Constitution of India)

In Re : Measures for Prevention of fatal accidents of small children due to their falling abandoned bore wells and tube wells. ...Petitioner

Versus

Union of India & Ors. ...Respondents

Sir/Madam,

I am directed to forward herewith for your information, compliance and necessary action certified copies of the Order and Record of Proceedings dated 11.02.2010 passed in the Writ Petition above-mentioned.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

Assistant Registrar

Encl. As above

ITEM NO. 1 COURT NO.1 SECTION PIL

S U P R E M E C O U R T O F I N D I A
RECORD OF PROCEEDINGS

WRIT PETITION (CIVIL) NO(s). 36 OF 2009 412639

IN RE: MEASURES FOR PREVENTION OF FATAL ACCIDENTS OF SMALL CHILDREN DUE TO THEIR FALLING INTO ABANDONED BORE WELLS AND TUBE WELLS — Petitioner(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. — Respondent(s)

(With office report)

Date: 11/02/2010 This Petition was called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE DR. JUSTICE B.S. CHAUHAN
HON'BLE MR. JUSTICE C.K. PRASAD

Mr. Paramjit Singh Patwalia, Sr. Adv. (A.C.)

For Petitioner(s)

For Respondent(s)
Ms. Indira JaiSing, ASG
Mr. Ashok Bhan, Adv.
Ms. Sadhna Sandhu, Adv.
Mr. C.K. Sharma, Adv.
Mr. D.S. Mahra, Adv.

Certified to be true copy
[signature] 2/10
Assistant Registrar (Judl.)
........2008
Supreme Court of India

For State of Haryana
Mr. Manjit Singh, AAG for Haryana
Mr. Kamal Mohan Gupta, Adv.
Ms.Reeta Chaudhary, Adv.
Mr. Gaurav Teotia,Adv.

For State of Punjab
Mrs. Jayshree Anand, AAG for Punjab
Mr. K.K. Mahalik, Adv.
Mrs. Noor Jahan, Adv.
Mr. Kuldip Singh, Adv.

For State of Raj.
Dr. Manish Singhvi, AAG for Rajasthan
Mr. Devanshu Kumar Devesh, Adv.
Mr. Milind Kumar, Adv.

Mr. T. Harish Kumar, Adv.

R 16/2/10 at 5.10 P.M.

(7)

For State of U.P. Mr. Shail Kumar Dwivedi, AAG for U.P.
Mr. Manoj Kr. Dwivedi, adv.
Ms. Vandana Mishra, Adv.
Mr. Ashutosh Kr. Sharma, Adv.
Mr. Gunnam Venkateswara Rao, Adv.

For State of T.N. Ms. Promila, adv.
Mr. S. Thananjayan, Adv.

UPON hearing counsel the Court made the following

O R D E R

Certain safety measures/guidelines have been given in the signed order which are to be observed by all the States. The guidelines given in the signed order shall be given wide publicity through the national television channels. A copy of this order be sent to the Chief Secretaries of all the States/Union Territories who shall forward the same to the District Collectors of all Districts of their respective State.

For further directions post this matter after 12 weeks.

16/02/10

(Ajay Kr. Jain)
Court Master

(Veera Verma)
Court Master

(Signed order is placed on the file)

16/2

(8)

IN THE SUPREME COURT OF INDIA
CIVIL ORIGINAL JURISDICTION

WRIT PETITION (C) NO. 36 OF 2009

In Re: Measures for Prevention of Fatal Accidents of Small Children Due to Their Falling Into Abandoned Bore Wells and Tube Wells .... Petitioner

Versus

Union of India & Ors. .... Respondents

O R D E R

Heard the learned Amicus Curiae and the learned Addl. Solicitor General appearing for the Union of India.

It has been brought to the notice of this Court that in a number of cases children had been trapped and fallen into bore wells and tube wells or abandoned wells. These reports have been coming from various States. Accordingly, we took suo motu initiative and issued notice to the various States to take immediate measures to prevent such kind of incidents.

The Union of India has filed its counter affidavit giving certain guidelines to be followed by the States.

We have perused the affidavit and the guidelines suggested by the Union of India.

Having regard to the number of incidents that have taken place during the recent past and immediate need for

(9)

preventing such incidents in future, we direct that the following safety measures/guidelines are to be observed by all the States :-

(i) "The owner of the land/premises, before taking any steps for constructing bore well/ tube well must inform in writing at least 15 days in advance to the concerned authorities in the area, i.e., District Collector/ District Magistrate/Sarpanch of the Gram Panchayat/ concerned officers of the Department of Ground Water/ Public Health/ Municipal Corporation, as the case may be, about the construction of bore well/tube well.

(ii) Registration of all the drilling agencies, viz., Govt./Semi Govt./Private etc. should be mandatory with the district administration.

(iii) Erection of signboard at the time of construction near the well with the following details :-

(a) Complete address of the drilling agency at the time of construction/ rehabilitation of well.

(b) Complete address of the user agency/ owner of the well.

(iv) Erection of barbed wire fencing or any other

(10)

suitable barrier around the well during construction.

(v) Construction of cement/concrete platform measuring 0.50 x 0.50x 0.60 meter (0.30 meter above ground level and 0.30 meter below ground level) around the well casing.

(vi) Capping of well assembly by welding steel plate or by providing a strong cap to be fixed to the casing pipe with bolts & nuts.

(vii) In case of pump repair, the tube well should not be left uncovered.

(viii) Filling of mud pits and channels after completion of works.

(ix) Filling up abandoned borewells by clay/sand / boulders/pebbles/drill cuttings etc. from bottom to ground level.

(x) On completion of the drilling operations at a particular location, the ground conditions are to be restored as before the start of drilling.

(xi) District Collector should be empowered to verify that the above guidelines are being followed and proper monitoring check about the status of boreholes/tubewells are being taken care through the concerned

(11)

State/Central Government agencies.

(xii) District/Block/Village wise status of bore wells/tubewells drilled viz. No. of wells in use, No. of abandoned bore wells/tube wells found open, No. of abandoned borewells/tubewells properly filled up to ground level and balance number of abandoned borewells/tubewells to be filled up to ground level is to be maintained at District Level.

In rural areas, the monitoring of the above is to be done through Village Sarpanch and the Executive from the Agriculture Department.

In case of urban areas, the monitoring of the above is to be done through Junior Engineer and the Executive from the concerned Department of Ground Water/Public Health/ Municipal Corporation etc.

(xiii) If a borewell/tubewell is 'Abandoned' at any stage, a certificate from the concerned department of Ground Water/Public health/Municipal Corporation/Private contractor etc. must be obtained by the aforesaid agencies that the 'Abandoned' borewell/tubewell is properly filled upto the

ground level. Random inspection of the abandoned wells is also to be done by the Executive of the concern agency/department. Information on all such data on the above are to be maintained in the District Collector/ Block Development Office of the State.

The guidelines abovementioned shall be given wide publicity through the national television channels. A copy of this order be sent to the Chief Secretaries of all the States/Union Territories who shall forward the same to the District Collectors of all Districts of their respective State.

For further directions post this matter after 12 weeks.

.....CJI.

.....J.
(Dr. B.S. CHAUHAN)

.....J.
(C.K. PRASAD)

NEW DELHI;
FEBRUARY 11, 2010